न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/19

दुर्गाशंकर आत्मज कजोड जी जाति माली निवासी कस्बा के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. स्वर्गीय गोबरी लाल आत्मज कजोड जाति माली निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. बिरधलाल पुत्र गोबरी लाल
   1/2. कन्हैया लाल पुत्र गोबरी लाल जाति माली निवासी कस्बा के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/3. नन्दकंवरी पुत्री गोबरी लाल पत्नी रामलक्ष्मण जी जाति माली निवासी ग्राम गुडली हाल निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/4. राधा बाई पुत्री गोबरी लाल पत्नी गोबरी लाल जाति माली निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   1/5. इन्द्रा पुत्री गोबरी लाल पत्नी रामावतार जाति माली निवासी ग्राम बन्दा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   1/6. सुक्खी बेवा गोबरी लाल जाति माली निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 06.08.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.1999 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट मृतक गोबरी लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद पेश

कर कथन किया कि पुराना खसरा नम्बर 730 मिन रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा जो गोबरी लाल वादी के खातेदारी कब्जे की है इसके उत्तर की ओर खसरा नम्बर 730/3 मिन रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा प्रतिवादी दुर्गाशंकर के खाते व कब्जे काश्त की है जिसमें मकान व झौंपडियॉ बनी हुई हैं । सेटलमेंट के मिलान के उपरान्त गलत रिकॉर्ड बनाकर वस्तु स्थिति बदल करन जो नये नम्बर बनाये उनसे रिकॉर्ड के अनुसार खेतों की स्थिति बदल दी गई । खसरा नम्बर 1204 जो कि प्रतिवादी दुर्गाशंकर की है जबकि खाते में गोबरी लाल के अंकित कर दी और खसरा नम्बर 1203 गोबरी लाल की है जो रिकॉर्ड के अनुसार दुर्गाशंकर के अंकित कर दी । उक्त नक्शा व कब्जा गलत बनाया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीके पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1204 की जगह खसरा नम्बर 1203 कर दिया जावे व 1203 की जगह 1204 कर दिया जावे रकबा वही वादी का 15 बीघा 02 बिस्व व प्रतिवादी का 08 बीघा 11 बिस्वा ही रहेगा ।

4. प्रतिवादी कम 1 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार किया है ।

5. दिनांक 24.02.1999 को पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक लिखित राजीनामा भ पेश किया गया और वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25.11.1999 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.1999 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 1 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी मृतक गोबरी लाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादी कम 1 अपीलान्ट ने इकबालिया जवाबदावा पेश किया था तथा पक्षकारान द्वारा लिखित राजीनामा भी पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया था । तत्पश्चात् वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया था । वादी द्वारा संशोधित वाद के जरिये वाद में सारभूत परिवर्तन कर दिया गया था । पूर्व वाद में सेटलमेंट द्वारा खसरा नम्बर 1204 प्रतिवादी अपीलान्ट दुर्गाशंकर की होना एवं खाते में गोबरी लाल के अंकित कर देना तथा खसरा नम्बर 1203 गोबरी लाल की होना रिकॉर्ड के अनुसार दुर्गाशंकर प्रतिवादी अपीलान्ट के खाते अंकित कर देना तथा उक्त नक्शा व कब्जा गलत बनाना जाहिर किया है। पूर्व वाद में खसरा नम्बर 1203 व 1204 का कोई रकबा अंकित नहीं किया गया था । प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाबदावे में मूल वाद में वर्णित उक्त तथ्य स्वीकार किये गये थे । अपीलान्ट को संशोधित वाद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी प्रतिवादी अपीलान्ट को संशोधित वाद के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में संशोधित जवाबदावा पेश करना चाहता है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पक्षकारान की अनुपस्थिति में पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक राजीनामा निर्णय पारित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.1999 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अपने अभिभाषक को नियुक्त किया था उनके द्वारा अपीलान्ट को बताया गया कि निर्णय व डिक्री होने पर या किसी प्रकार का कोई आदेश होने पर वे तुरन्त अपीलान्ट को बता देंगे और आवश्यकता पडने पर बुलाने हेतु कह रखा था परन्तु उनके वकील साहब ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी । प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 01.12.2016 को जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा उसके बाद अपने वकील साहब से सम्पर्क कर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के द्वारा हक घोषणा का दावा पेश किया गया था । दावा सन् 1998 में पेश किया गया था प्रतिवादी अपीलान्ट के द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया था । पक्षकारान के द्वारा राजीनामा भी पेश किया गया जो न्यायालय के द्वारा तस्दीक किया गया । इसके बाद वादी ने आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया इस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया और वादी को दावे में सारभूत परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई । सेटलमेंट के द्वारा खसरा नम्बर 1204 प्रतिवादी अपीलान्ट दुर्गाशंकर की होना और खाते में गोबरीलाल के अंकित कर देना तथा खसरा नम्बर 1203 गोबरी लाल का होना और रिकॉर्ड में दुर्गाशंकर के खाते में अंकित कर देना तथा उक्त नक्शा व कब्जा गलत बनाना जाहिर किया है । पूर्व वाद में खसरा नम्बर 1203 व 1204 का कोई रकबा अंकित नहीं किया गया है । संशोधित वादपत्र में चरण संख्या 2 के बाद 2 (अ) भी अंकित किया गया । अपीलान्ट के द्वारा जवाबदावा मूल वाद में वर्णित तथ्य स्वीकार किये गये और राजीनामा स्वीकार किया गया था । संशोधित दावे के माध्यम से सहायता में चरण संख्या अ और अ(1) जोडा गया । प्रतिवादी अपीलान्ट को संशोधित वादपत्र की जानकारी नहीं थी । संशोधित जवाबदावा पेश होने के बाद कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया । वादी रेस्पोडेन्ट के द्वारा दावे के तथ्यों को साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया था । गलत रूप से वादी का वाद स्वीकार किया है । चरण संख्या 1 और 1 (अ) में परस्पर विरोधाभास है । निर्णय राजीनामा एवं वादपत्र में वर्णित तथ्यों के विपरीत है । निर्णय अपीलान्ट के वकील साहब की अनुपस्थिति में पारित किया गया है निर्णय की जानकारी अभिभाषक के द्वारा समय पर नहीं दी गई इस कारण अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि– विरूद्ध है और ऐसा निर्णय जो विधि– विरूद्ध होता है उसके लिए लिमिटेशन गौण हो जाती है । नक्शे में दुरूस्ती का मामला भू–राजस्व अधिनियम का है, काश्तकरी अधिनियम का नहीं इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि–विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.1999 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2015 पेज 235, एआईआर 1998 पेज 3222, आरआरडी 1996 पेज 457, आरआरडी 2016 पेज 102, डीएनजे 2012 (एससी) पेज 855 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में एक दावा पेश किया था जिसमें दिनांक 06.08.2012 को रेस्पोडेन्ट ने धारा 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया और इसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दी गई थी । इस प्रकार दिनांक 06.08.2012 को अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हो चुकी थी । इसके बावजूद अपील विलम्ब से पेश की गई है । अपील सन् 1999 में पारित निर्णय के खिलाफ सन् 2016 में पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अपीलान्ट का यह दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था । एक अन्य दावा हक घोषणा का पेश किया गया था जो नॉट प्रेस में खारिज करवाया है । राजीनामा अपीलान्ट के द्वारा स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 01.09.1999 में अंकित किया गया है कि वादी द्वारा पेश किये आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है और इसके उपरान्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है । यदि अपीलान्ट को इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कोई आपत्ति थी तो तत्समय कर सकते थे । अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25.11.1999 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1999 पेज 152, आरआरटी 2014 (1) पेज 525 उद्वरत की ।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.11.1999 को पारित किया गया है जिसके खिलाफ सन् 2016 में लगभग 17 वर्ष बाद अपील पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । धारा 05 मियाद अधिनियम का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें यह अंकित है कि वकील के द्वारा यह हिदायत दी गई थी कि आवश्यकता पडने पर बुला लेंगे परन्तु उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई । यदि वकील साहब के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई तो भी 17 वर्ष तक मुकदमे के बारे में अपीलान्ट प्रतिवादी के द्वारा न तो न्यायालय में सम्पर्क किया गया और ही अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया गया जो तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है । इस दृष्टि से अपील पेश करने में किया गया विलम्ब क्षम्य योग्य नहीं है । इस क्रम में विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरआरडी 1999 पेज 152, आरआरटी 2014 (1) पेज 525 यहॉ चस्पा होती है । विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट ने विलम्ब का शमन करने के लिए जो नजीरें पेश की हैं एआईआर 1998 पेज 3222, डीएनजे 2012 (एससी) पेज 855 यहॉ चस्पा नहीं होती हैं क्योंकि अपीलान्ट के द्वारा 17 वर्ष बाद अपील पेश की गई है जबकि एआईआर 1998 पेज 3222 में विलम्ब 883 दिन का था और अपीलान्ट ने अपने अभिभाषक से मुआवजे का क्लेम भी किया था ।

13. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया दावा संख्या 21/07 अन्तर्गत धारा 88, 89, 92अ एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की फोटो प्रति पेश की है और एक अन्य दावा जो दुर्गाशंकर ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाअन में सन् 2012 में बिरधी लाल एवं सरकार के खिलाफ धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया है उसकी प्रमाणित प्रति भी पेश की है और उसमें प्रतिवादीगण के द्वारा धारा 11 सीपीसी के तहत जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसकी प्रमाणित प्रति भी पेश की गई है जिसमें यह अंकित है कि पूर्व में एक दावा चला था जिसका निर्णय दिनांक 25.11.1999 को हो चुका है । यह प्रार्थना पत्र

दिनांक 06.08.2012 को शामिल मिसल किया गया था इसके उपरान्त दिनांक 22.08.2012 को अपीलान्ट की ओर से इस प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया है और दिनांक 17.10.2012 को वादी का दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है । इस प्रकार इस दाव में पेश किये गये धारा 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलान्ट को दिनांक 06.08.2012 को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी । उसके बावजूद अपील सन् 2016 में पेश की है इस विलम्ब का संतोषप्रद कारण अपीलान्ट स्पष्ट नहीं कर पाये हैं ।

14. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 01.09.1999 के अनुसार भी आदेश 06 नियम 17 का प्रार्थना पत्र वादी के द्वारा पेश किया था जिस पर वकील प्रतिवादी ने कोई आपत्ति नहीं की है । अब इस स्टेज पर इसके बाबत् अपीलान्ट को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है । अपीलान्ट के द्वारा इकबालिया जवाब अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है और राजीनामा भी अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.02.1999 को पेश किया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बाद तस्दीक शामिल मिसल किया है । राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं होती है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से एवं सारहीन होने से खारिज होने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.1999 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/19

दुर्गाशंकर आत्मज कजोड जी जाति माली निवासी कस्बा के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. स्वर्गीय गोबरी लाल आत्मज कजोड जाति माली निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. बिरधलाल पुत्र गोबरी लाल
   1/2. कन्हैया लाल पुत्र गोबरी लाल जाति माली निवासी कस्बा के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/3. नन्दकंवरी पुत्री गोबरी लाल पत्नी रामलक्ष्मण जी जाति माली निवासी ग्राम गुडली हाल निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/4. राधा बाई पुत्री गोबरी लाल पत्नी गोबरी लाल जाति माली निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   1/5. इन्द्रा पुत्री गोबरी लाल पत्नी रामावतार जाति माली निवासी ग्राम बन्दा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   1/6. सुक्खी बेवा गोबरी लाल जाति माली निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2010 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, के0 पाटन जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 143/दावा/1998

स्वर्गीय गोबरी लाल आत्मज कजोड जाति माली निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।

——वादी

बनाम

1. दुर्गाशंकर आत्मज कजोड जी जाति माली निवासी कस्बा के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.1999 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 06.08.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता, श्री कृष्ण दत्त दाधीच एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेश शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.1999 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 06.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

6/8/19

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा